

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 700318 / 16

संस्थित दिनांक-17.06.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. रामबाबू पुत्र खुमानसिंह जाटव उम्र 39 साल
  2. शंकरसिंह पुत्र गनेशराम जाटव उम्र 65 साल
- निवासीगण मोतीसिंह का पुरा थाना गोहद चौराहा

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 28.11.2016 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 एवं मोटरयान अधि0 की धारा 146/196 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्त रामबाबू ने दिनांक 12.04.16 को करीब 21:30 बजे पानसिंह तोमर की मार्केट भिण्ड ग्वालियर हाईवे सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-30 एम0 1862 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा अभियुक्त शंकर ने अपने आधिपत्य के उक्त टेक्टर को आरोपी रामबाबू से बिना पर व्यक्ति जोखिम बीमा के सार्वजनिक मार्ग पर परिवहन कराया।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि0 की धारा 337 का उपशमन किया गया।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 12.04.16 को फरियादी वृंदावन उपाध्याय अपनी गाडी सूमो ग्राण्ड नं0 एम0पी0-30 बीसी-0445 से पिपाहडी आ रहे थे। उनके साथ उनकी सास रामश्री, साली गंगादेवी, साला कन्हैयालाल, पत्नी रामहरी तथा सुरेन्द्र गुर्जर भी थे। जैसे ही उनकी गाडी पानसिंह तोमर छीमका वाली मार्केट पर आई तो सामने से टेक्टर क्र0 एम0पी0-30 एम 1862 महिन्द्रा कंपनी का तेजी व लापरवाही से आया और उसकी गाडी में टक्कर मार दी जिससे गाडी क्षतिग्रस्त हो गयी और उसे व कन्हैयालाल को चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0-89/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती

कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कसाई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.04.16 को करीब 21:30 बजे पानसिंह तोमर की मार्केट भिण्ड ग्वालियर हाईवे सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-30 एम0 1862 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त शंकर ने अपने आधिपत्य के उक्त टेक्टर को आरोपी रामबाबू से बिना पर व्यक्ति जोखिम बीमा के सार्वजनिक मार्ग पर परिवहन कराया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में वृंदावन अ0सा0 1, कन्हैयालाल अ0सा0 2 व सुरेन्द्र अ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी वृंदावन यह कथन करते हैं कि घटना 12.04.16 की रात 9-9:30 बजे की है। वे अपनी सूमो गाडी एम0पी0-30 बीसी 0445 से ग्वालियर से पिपाहडी आ रहे थे। उनके साथ उनका साला कन्हैयालाल, उसकी पत्नी रामहरी, सास रामश्री, साली गंगादेवी तथा सुरेन्द्र थे। जैसे ही छीमका के पास पहुंचे तो एक टेक्टर से उनकी गाडी की टक्कर हो गयी जिससे उन्हें कोहनी तथा कन्हैयालाल को चोटें आईं। घटना के संबंध में थाना गोहद चौराहे में रिपोर्ट प्र0पी0 1 किया जाना बताते हैं उक्त रिपोर्ट प्र0पी0 1 तथा नक्शा मौका प्र0पी0 2 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में इस संबंध में कोई कथन नहीं करते कि किस टेक्टर के द्वारा उनको दुर्घटना कारित की गयी और न ही यह बताते हैं कि कथित टेक्टर को कौन व्यक्ति चला रहा था। उसके अतिरिक्त आहत कन्हैयालाल अ0सा0 2 एवं सुरेन्द्र अ0सा0 3 फरियादी के कथनों के समान ही टेक्टर से टक्कर होना बताते हैं। यह साक्षी भी कथित टेक्टर का कोई नंबर, उसे चलाने वाले व्यक्ति व चलाने की रीति के संबंध में कोई कथन नहीं करते। प्रकरण में फरियादी, आहत व चक्षुदर्शी साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और उनसे सूचक प्रश्नों में सुझाव दिए गए। फरियादी, आहत व चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा घटना के संबंध में कोई पुष्टि न किए जाने से अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

8. अभियोजन की ओर से उक्त साक्षियों से सूचक प्रश्नों में टेक्टर क्र० एम०पी०-30 एम 1862 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से टक्कर मारने के संबंध में सुझाव दिए जाने पर साक्षियों द्वारा स्पष्टतः इंकार किया गया है। साथ ही साक्षियों ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर स्पष्टतः इंकार किया है कि उक्त व्यक्ति अभिकथित टेक्टर को चला रहा था। यद्यपि प्रकरण में राजीनामा अभिलेख पर है किन्तु राजीनामा हो जाने से संहिता की धारा 279 के अधीन उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन को चलाए जाने के तथ्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है क्योंकि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। साक्षियों द्वारा अपने कथन में पुलिस कथन प्र०पी० 3 लगायत 5 में विनिर्दिष्ट भागों तथा प्र०पी० 1 की प्राथमिकी में विनिर्दिष्ट भागों का कथन पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 145 के अधीन साक्षियों के पूर्वतन कथनों के संबंध में साक्षी ने कथन किए जाने से इंकार किया है। उनमें सारवान विरोधाभास व लोप अभिलेख पर पाए गए हैं।

9. यह स्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त- ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज-1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तर के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

10. संहिता की धारा 279 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन को चलाया जावे। संपूर्ण अभियोजन साक्षियों जो सर्वोत्तम साक्षी थे, उनके द्वारा अभियुक्त के वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। संदेह का लेशमात्र भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को खण्डित कर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिलाए जाने का आधार होता है। अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन के मात्र जब्त हो जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा वाहन लोकमार्ग पर घटना के समय चलाया जा रहा था और न ही यह तथ्य प्रमाणित होता है कि कथित टेक्टर एम०पी० 30 एम 1862 का परिचालन सार्वजनिक मार्ग पर किया जा रहा था। ऐसी दशा में जहां कि वाहन सार्वजनिक मार्ग पर चलाए जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है ऐसे में उसके बीमित न होने की दशा में अपराध गठित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्तकर

दोषमुक्ति के पात्र है। अतः अभियुक्त रामबाबू को धारा 279 एवं अभियुक्त शंकरसिंह को मोटरयान अधि० की धारा 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जाती हैं, उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

12. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)